झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 25 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री महेश्वर उरांव एवं अन्य
ग्राम- लंका, पंचायत - शंकीकला,
प्रखण्ड- मनिका, जिला - लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.04.2023	**वाद सं0–25/2023** परिवादी श्री महेश्वर उरांव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–राँकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर हुआ। परिवदियों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरूद्ध माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 का राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि डीलर से पूछने पर, बताया जाता है कि राशन नहीं आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.05.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–17.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–25/2023	
30.05.2023 08/06/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अनुपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले सुनवाई में जिले के SDO जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में हैं, उनका कहना था कि वे विधि–व्यवस्था की Duty में रहने के कारण फाईल नहीं देख पाए हैं एवं आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुक अपीलकर्ता को माह दिसम्बर, 2022 का राशन 1.25 गुना मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ एवं इसका प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध NFSA–2013 की सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx72	

आ[illegible]ा की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–25 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अनुपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

आज की सुनवाई में लगातार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं Telephonic conference दोनों माध्यम से अनुपस्थित रहे। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि वे अगली सुनवाई में आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा स्पष्टीकरण के माध्यम से आयोग को यह कि बताएँ कि लगातार आयोग की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार का स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक नहीं रहा या उनका स्पष्टीकरण नहीं आया तो आयोग एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को इस कार्रवाई की अनुशंसा करने को बाध्य होगा। इस बीच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–10.07.2023 को रखें।

Sd/- 19.6.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

Sd/- 19.06.23
(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx80

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10-07-2023	**वाद सं0–25 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से महेश्वर उरांव, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार Telephonic Conference माध्यम से उपस्थित । द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कुल–33 लोगों के हस्ताक्षर से शिकायत दर्ज की थी। उनमें से किन्हीं को भी ~~को~~ दिसम्बर माह का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि अक्टूबर एवं नवम्बर माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि दिसम्बर माह का 1 कि0ग्रा0 गेहूँ सबको उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि 4 कि0ग्रा0 चावल इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका है क्यूँकि PMGKAY का राशन उन्हें आवंटित ही नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें और सभी शिकायकर्ताओं को दिसम्बर माह का गेहूँ भी उपलबध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि सभी 33 शिकायकर्ताओं को दिसम्बर माह का गेहूँ उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण आयोग को उपलब्ध करायें और यदि प्रमाण नहीं है तो 1 कि0ग्रा0 गेहूँ उपलब्ध करायें। साथ ही दिसम्बर माह का 4 कि0ग्रा0 चावल भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से बताया कि आयोग ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकता की उन्हें विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया ही नहीं गया। आयोग प्रशासनिक कमी या लापरवाही का खामियाजा शिकायकर्ता को भुगतने नहीं दे सकता। आयोग की जिम्मेवारी है कि वो सभी लाभुकों को उनका हक और अधिकार दिलाये। इस क्रम में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे दिसम्बर माह का राशन पात्रता के अनुसार सभी शिकायकर्ताओं को उपलब्ध कराये और इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान लाभुक/शिकायतकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को सशरीर आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–20.07.2023 को रखें। 13.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx35

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–25 / 2023	
20.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने लिखित एवं मौखिक रूप से आयोग को अवगत कराया है कि सभी शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने भी इस आशय की पुष्टि की है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वे अपना राशन का उठाव कर लें। इस आशय के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 20.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx85	